उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– 01 /IX-1/106/2012/2019
देहरादूनः दिनांक 02 जनवरी, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2003) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना संख्या 1012/ix–1/106/2012 दिनांक 29 नवम्बर, 2012 व अधिसूचना संख्या 889/ix–1/106/(2012)/2015 दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 का अधिक्रमण करते हुये, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते हैंः–

सारणी–

धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन यानों पर एक बार देय कर की दरें–

क्र0 सं0	यान का विवरण	एक बार देय कर की दरें (रूपये में)
1	2	3
1.	दुपहिया मोटरयान –	
	(क) जिसका मूल्य 50 हजार रूपये से अधिक ना हो	यान के मूल्य का 7 प्रतिशत
	(ख) जिसका मूल्य 50 हजार रूपये से अधिक किन्तु 1 लाख रूपये से अनधिक	यान के मूल्य का 8 प्रतिशत
	(ग) जिसका मूल्य 1 लाख रूपये से अधिक हो	यान के मूल्य का 9 प्रतिशत
2.	दुपहिया मोटरयान से भिन्न मोटरयान –	
	(क) जिसका मूल्य 5 लाख रूपये से अधिक ना हो	यान के मूल्य का 8 प्रतिशत
	(ख) जिसका मूल्य 5 लाख रूपये से अधिक किन्तु 10 लाख रूपये से अनधिक	यान के मूल्य का 9 प्रतिशत
	(ग) जिसका मूल्य 10 लाख रूपये से अधिक हो	यान के मूल्य का 10 प्रतिशत

स्पष्टीकरण–

1. यान के मूल्य का अभिप्राय यान के एक्स शो रूम मूल्य से है, जिसमें उत्पादन लागत एवं जी0एस0टी0 सहित सभी कर सम्मिलित है;
2. विद्युत बैटरी अथवा सोलर पॉवर अथवा सी0एन0जी0 से चलित यानों पर कर से छूट होगी ;
3. पहले से पंजीकृत यानों पर एक बार देय कर की गणना पुरानी अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये ऐसे यान पर प्रभावी एक बार देय कर की धनराशि में पॉच प्रतिशत की छूट के अनुसार की जायेगी, परन्तु यह छूट पचहत्तर प्रतिशत से अधिक की नही होगी। इस प्रयोजन हेतु वर्ष की गणना यान के प्रारम्भिक पंजीयन की तिथि से की जायेगी तथा एक वर्ष से कम की अवधि को छोड़ दिया जायेगा;
4. रजिस्ट्रीकृत स्वामी की मृत्यु के कारण यान के स्वामित्व का उसके उत्तराधिकारी को अन्तरण के सिवाय, स्वामित्व अन्तरण पर यान द्वारा भुगतान किये गये, एक बार देय कर की धनराशि का 10 प्रतिशत भाग संदेय होगा।

आज्ञा से

(हरि चन्द्र सेमवाल)
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no...01........ dated 02, January,2019 for general information.

Government of Uttarakhand
Transport Section-1
No. 01 /ix-1/106/2012/2019
Dehradun: dated: 02 January, 2019

Notification

In exercise of the powers conferred by sub Section (1) of Section 4 of the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms Act, 2003 (Uttarakhand Act no. 12 of 2003), and in supersession of notification no. 1012/ix-1/106/2012 dated 29 November, 2012 and notification no. 889/ix-106/(2012)/2015 dated 03 December, 2015, the Governor is pleased to fix the rate of tax specified in column (3) of the table below in respect of class of Motor Vehicles specified in corresponding entry in column (2) thereof:-

Table

Rates of one time tax on the vehicles under sub section (1) of Section 4

Sl. No.	Description of vehicles	Rates of one time tax (in rupees)
1	2	3
1.	Two wheeler Motor Vehicles-	
	(a) price not exceeding 50 Thousand rupees	7 percent of the cost of vehicle
	(b) price above 50 thousand rupees but not exceeding 1 Lakh rupees	8 percent of the cost of vehicle
	(c) price exceeding 1 Lakh rupees	9 percent of the cost of vehicle
2.	Motor Vehicles other than Two Wheeler Motor Vehicles-	
	(a) price not exceeding 5 Lakh rupees	8 percent of the cost of vehicle
	(b) price above 5 lakh rupees but not exceeding 10 Lakh rupees	9 percent of the cost of vehicle
	(c) price exceeding 10 Lakh rupees	10 percent of the cost of vehicle

Explanation:

1. Cost of the vehicle shall mean the ex showroom cost of the vehicle and shall include the basic manufacturing cost, the excise duty and all taxes including G.S.T.
2. The motor vehicles driven by Electric Battery or Solar Power or C.N.G. shall be exempted from tax.
3. One time tax for the vehicles registered earlier shall be determined after 5 percent exemption of one time tax, leviable on such vehicle, for each year but such exemption shall not exceed more than 75 percent of such tax. For this purpose the age of the vehicle shall be computed from the date of its original registration and period less than one year shall be ignored.
4. Except where the ownership of the vehicle is transferred on the death of registered owner of the vehicle to his successor, an amount equivalent to 10 percent of one time tax paid by such vehicle shall be charged on transfer of ownership of motor vehicle.

By Order,

(Hari Chandra Semwal)
Additional Secretary

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– 02 /IX-1/106/2012/2019
देहरादूनः दिनांक 02 जनवरी, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2003) की धारा 4 की उपधारा (1–क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना संख्या 1014/ix–1/106/2012 दिनांक 29 नवम्बर, 2012 का अधिक्रमण करते हुये, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ 3, स्तम्भ 4 और स्तम्भ 5 में प्रत्येक के सामने यथा विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते है–

सारणी–

धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन दुपहिया, तिपहिया मोटर कैब एवं माल यान पर कर की दर–

क्र0सं0	यान का विवरण	तिमाही कर की दर (रूपये में)	वार्षिक कर की दर (रूपये में)	एक बार देय कर की दर (रूपये में)
1	2	3	4	5
1.	ड्राइवर को छोड़कर तीन व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वालें दुपहिया और तिपहिया मोटर कैब की प्रत्येक सीट के लिये	230	800	7,000
2.	ड्राइवर को छोडकर 03 से अधिक और 06 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाले तिपहिया मोटर कैब की प्रत्येक सीट के लिये,	280	1000	7,000
3.	मालयान जिनका सकल यान भार 3000 कि0ग्रा0 से अनधिक हो, पर सकल यान भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उनके भाग के लिये	–	1200	12,500

स्पष्टीकरण–

1. क्रम संख्या 1, क्रम संख्या 2 और क्रम संख्या 3 के सम्मुख स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मोटरयान जो पहले से पंजीकृत है, पर एक बार देय कर जमा करने के विकल्प की स्थिति में एक बार देय कर की गणना पुरानी अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये ऐसे यान पर प्रभावी एक बार देय कर की धनराशि में आठ प्रतिशत की छूट के अनुसार की जायेगी, परन्तु यह छूट पचहत्तर प्रतिशत से अधिक की नहीं होगी। इस प्रयोजन हेतु वर्ष की गणना यान के प्रारम्भिक पंजीयन की तिथि से की जायेगी तथा गणना में एक वर्ष से कम की अवधि को छोड दिया जायेगा;
2. विद्युत बैटरी अथवा सोलर पावर अथवा सी0एन0जी0 से चलित यानों पर देय कर से 20 प्रतिशत के बराबर छूट होगी।
3. क्रम संख्या 3 के सम्मुख यथा विनिर्दिष्ट कोई माल यान जब–जब किराये या पारिश्रमिक पर सवारियां ढोते हुये पाया जाय तो यथा स्थिति उसके सम्मुख स्तम्भ 4 या 5 में विनिर्दिष्ट कर के अतिरिक्त 2200 रूपये प्रति सवारी की दर से भी कर देय होगा। जो किसी भी दशा में 6600 रूपये से अधिक नहीं होगा।

आज्ञा से,

(हरि चन्द्र सेमवाल)
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no...02....... dated 02 January,2019 for general information.

Government of Uttarakhand
Transport Section-1
No. 02 /ix-1/106/2012/2019
Dehradun: dated: 02 January, 2019

Notification

In exercise of the powers conferred by sub section (1-A) of Section 4 of the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms Act, 2003 (Uttarakhand Act no. 12 of 2003), and in supersession of notification no. 1014/ix-1/106/2012 dated 29 November, 2012, the Governor is pleased to fix the rate of tax specified in column 3 column 4 and column 5 of the table below in respect of class of Motor Vehicles specified in corresponding entry in column (2) thereof:-

Table

Rates of tax on two wheeler, three wheeler and goods vehicle under sub-section (1-A) of Section 4

Sl. No.	Description of vehicles	Quarterly rate of tax (in rupees)	Annual rate of tax (in rupees)	Rate of one time tax (in rupees)
1	2	3	4	5
1.	Two wheeler and three wheeler motor cab with seating capacity not exceeding three persons excluding of driver for every seat.	230	800	7000
2.	Three wheeler motor cab with seating capacity of more than three and not exceeding six persons excluding of driver for every seat.	280	1000	7000
3.	Goods vehicle, the gross vehicle weight not exceeding 3000 kilograms for each metric ton of the gross vehicle weight or part thereof.	-	1200	12500

Explanation-

1. Tax on vehicles specified in column 2 against serial no. 1, serial no. 2 and serial no. 3, which are registered earlier and exercise the option of one time tax, shall be determined after eight percent exemption on the one time tax leviable on such vehicle for each year. But such exemption shall not be more than seventy five percent. For this purpose the age of the vehicle shall be computed from the date of its original registration and period less than one year shall be ignored.
2. The Motor vehicles driven by Electric Battery or Solor Power or C.N.G. shal be exempted upto twenty percent of the tax leviable on such vehicle.
3. In case a goods vehicle specified against serial no. 3 is found carrying passengers on hire or reward a tax at the rate of rupees Two Thousand Two Hundred Only for each passenger shall be charged in addition to the tax specified in respect of it in column 4 or 5 as the case may be which shall not exceed rupees six thousand six hundred rupees in any case.

By Order,

(Hari Chandra Semwal)
Additional Secretary

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– 03 /IX-1/106/2012/2019
देहरादूनः दिनांक 02 जनवरी, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2003) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना संख्या 1015/ix–1/106/2012 दिनांक 29 नवम्बर, 2012 का अधिक्रमण करते हुये, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ (3) और स्तम्भ (4) में प्रत्येक के सामने यथा विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते है–

सारणी–

धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन परिवहन यानों पर कर की दर–

क्र0 सं0	यान का विवरण	मासिक कर की दर (रूपये में)	तिमाही कर की दर (रूपये में)	वार्षिक कर की दर (रूपये में)
1	2	3	4	5
1.	(क) मोटर कैब (दुपहिया एवं तिपहिया मोटरकैब को छोड़कर) और मैक्सी कैब के प्रत्येक सीट के लिये,	200	500	1900
	(ख) मोटर कैब (दुपहिया एवं तिपहिया मोटरकैब को छोड़कर) और मैक्सी कैब वाहन जो कि किराया व भाड़ा पर यात्रियों के परिवहन हेतु वैध परमिट से आच्छादित होने के अतिरिक्त सीमित मात्रा में माल ढोने के लिए भी पृष्ठांकित हैं, उनके लिये प्रतिसीट क्षमता हेतु (जिसका सकल यान भार 3000 किग्रा तक हो),	220	600	2250
2.	माल यान, जिनका सकलयान भार 3000 कि0ग्रा0 से अधिक है, के सकल यान भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये	–	270	1000
3.	(क) कृषि प्रयोजन से भिन्न व्यवसायिक प्रयोजन में प्रयुक्त ट्रैक्टर के लदान रहित भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये	–	600	2100
	(ख) कृषि प्रयोजन से भिन्न व्यवसायिक प्रयोजन में प्रयुक्त ट्रैलर के सकलयान भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये।	–	270	1000
4.	(क) सन्निर्माण उपस्कर यान या विशेष प्रकार के या विशेष उद्देश्य से निर्मित यान, जो व्यवसायिक उददेश्य से पंजीकृत हो अथवा उपयोग में लाये जाय, के लदान रहित भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये	–	600	2200
	(ख) सन्निर्माण उपस्कर यान या विशेष प्रकार के या विशेष उद्देश्य से निर्मित यान जो उत्तराखण्ड से भिन्न अन्य राज्यों में व्यवसायिक उद्देश्य से पंजीकृत हैं अथवा उपयोग में लाये जाते हैं, के उत्तराखण्ड में व्यवसायिक उपयोग में लाने पर लदान सहित भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये।	–	600	2200
5.	मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन भारत के किसी अन्य राज्य			

	में या किसी अन्य देश में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसे माल यानों को, जिसके साथ सड़क परिवहन मामलें में पारस्परिक व्यवस्थायें की गयी हो और जो अपने परमिटों के प्रतिहस्ताक्षर के अधीन उत्तराखण्ड में चलाने के लिये प्राधिकृत हो, के सकलयान भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये	—	150	550
6.	ड्राईविंग स्कूल के स्वामित्व वाले मोटरयान जो चालकों के प्रशिक्षण देने में अनन्य रूप से प्रयुक्त होते है, के लदान रहित भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये	—	550	2000
7.	(क) शिक्षा संस्था बस या स्कूल कैब के प्रत्येक सीट के लिये	—	100	375
	(ख) निजी सेवा यान के प्रत्येक सीट के लिये	—	175	600

<u>स्पष्टीकरण</u>—

1. कृषि उपज का अनन्य रूप से परिवहन करने वाले मालवाहनों के सम्बन्ध में कर की दर क्रम संख्या 2 के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मोटरयानों के सम्मुख स्तम्भ (4) और स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट दर की, दो तिहाई होगी;

2. क्रम संख्या 7, के सम्मुख स्तम्भ 2(ख) में यथा विनिर्दिष्ट निजी सेवायान जो वातानुकूलित हो, के लिये प्रति सीट कर की दर उनके सम्मुख स्तम्भ (4) और स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट दर से बीस प्रतिशत अधिक होगी;

3. क्रम संख्या 1 के सम्मुख स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट यान जो शिक्षण संस्थाओं के विधार्थियों को या फैक्ट्री के कर्मचारियों को संस्था तक ले जाने और ले आने में अनन्य रूप से प्रयुक्त होते है, पर कर की दर उनके सम्मुख स्तम्भ (3), स्तम्भ (4) और स्तम्भ (5) में यथा विनिर्दिष्ट दर की क्रमशः आधी एवं दो तिहाई होगी।

4. इस भाग के क्रम संख्या 4 (क) और (ख) के सम्मुख स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट ''विशेष प्रकार के या विशेष उददेश्य से निर्मित यान'' का तात्पर्य मोबाइल वक्र शॉप, मोबाइल कैन्टिन, कैम्पर वैन या ट्रैलर, कैश वैन, फायर टेन्डरर्स, स्नोक्रड लैडर, आक्जिलरी ट्रैलर व फायर फायटिंग यान, फोक्र लिफ्ट, रिग, जनरेटर व कम्प्रेशर जैसे उपस्करों से युक्त यान या ट्रैलर क्रैनयुक्त यान, टो ट्रक, ब्रेक डाउन वैन, रिकवरी यान, टॉवर वैगन, ट्री ट्रिमिंग यान, प्रचार यान इत्यादि से है।

5. इस भाग के क्रम संख्या 1 एवं क्रम संख्या 7 के प्रयोजन के लिये सीट की गणना में ड्राइवर की सीट को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।,

6. इस भाग के क्रम संख्या 2 के सम्मुख स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे मालयान जिनकी रजिस्ट्रेशन के दिनांक से आयु 20 वर्ष से अधिक हो तथा माल वाहन के ऐसे माडल जिनका पहाड पर संचालन सम्भव नहीं है के लिये त्रैमासिक कर की दर में रूपये 30.00 प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये एवं वार्षिक कर की दर में रूपये 100 प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये, छूट होगी।

7. इस भाग के क्रम संख्या 4 (ख) के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मोटरयान के उत्तराखण्ड में बिना कर जमा किये संचालित पाये जाने पर प्रत्येक बार पकडे जाने पर 3000 रूपये लदान रहित भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये कर देय होगा।

आज्ञा से,

(हरि चन्द्र सेमवाल)
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no...03..... dated 02 January,2019 for general information.

Government of Uttarakhand
Transport Section-1
No. 03 /ix-1/106/2012/2019
Dehradun: dated: 02 January, 2019

Notification

In exercise of the powers conferred by sub section (2) of Section 4 of the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms Act, 2003 (Uttarakhand Act no. 12 of 2003), and in supersession of notification no. 1015/ix-1/106/2012 dated 29 November, 2012, the Governor is pleased to fix the rate of tax specified in column (3) and column (4) of the table below in respect of class of Motor Vehicles specified in corresponding entry in column (2) thereof:-

Table
Rates of tax on transport vehicles under sub-section (2) of Section 4

Sl. No.	Description of vehicles	Monthly rate of tax (in rupees)	Quarterly rate of tax (in rupees)	Annual rate of tax (in rupees)
1	2	3	4	5
1.	(a) Motor cab (except two wheeler and three wheeler motor cab) and maxi cab for every seat.	200	500	1900
	(b) Motor cab (except two wheeler and three wheeler motor cab) and maxi cab (the gross vehicle weight not exceeding 3000 Kilograms) covered under valid permit to carry passengers for hire or reward, besides endorsed for carriage of limited quantity of goods, for every seat	220	600	2250
2.	Goods vehicle gross vehicle weight exceeding 3000 kilograms for each metric ton of the gross vehicle weight or part thereof	-	270	1000
3.	(a) Tractor which is used for commercial purposes other than agricultural purposes for each metric ton of the unladen weight or part thereof	-	600	2100
	(b) Trailer which is used for commercial purposes for each metric ton of the gross vehicle weight or part therof	-	270	1000
4.	(a) Construction equipment vehicle or vehicle constructed for special purpose or special design, registered or used for commercial purposes for each metric ton of unladen weight or part thereof	-	600	2200
	(b) Construction equipment vehicle or vehicle constructed for special purpose of special design registered in any other state and used for commercial purposes. in uttarakhand for each metric ton of the unladen weight or part thereof	-	600	2200

5.	Goods vehicles registered under motor vehicle act, 1988 in any other state or in any other country under any other law enforce at that time with which reciprocal arrangements in the matter of road transport have been made and which are authorized to ply in Uttarakhand under the countersignature of their permits for each metric ton of the unladen weight or part thereof	-	150	550
6.	Motor vehicles owned by driving school and which are exclusively used for imparting instruction to the drivers for each metric ton of the unladen weight or part thereof	-	550	2000
7.	(a) Educational institution bus or school cab for every seat	-	100	375
	(b) Private Service Vehicle for every seat	-	175	600

Explanation-

1. The rate of tax in respect of the goods vehicle exclusively carrying agricultural produce, instrument, tool, eatable, fertilizer, pesticide and other material and equipment relating agriculture work, shall be two third of the rate specified in column (4) and column (5) in respect of the vehicles specified in column (2) against serial no 2.
2. The rate of tax in respect of air conditioned vehicle shall be twenty percent more than the rates specified in column (4) and column (5) in respect of the vehicle specified in column (2) (b) against serial no. 7 .
3. The rate of tax in respect of the vehicles which are exclusively used for carrying students or workers to and from the educational institution or factory, as the case may be, specified in column (2) against serial no. 1 shall be half and two third respectively of the rate specified in column (3) column (4) or column (5).
4. Vehicle constructed for special purpose or special design specified in column (2) (a) (b) against serial no. 4 of this part means mobile workshop, mobile canteen, camper van or trailer, cash van, fire tenders, snorked ladder, auxiliary trailers and fire fighting vehicles, fork lift, vehicles or trailers fitted with equipment like rig, generator, compressor, crane mounted vehicle, tow truck, break down van, recovery van, tower wagons, tree trimming vehicles, exhibition van etc.
5. The driver seat shall not be taken into account while computing the seats for the purpose of serial no. 1 and serial no. 7 of this part.
6. The rates of tax in respect of goods vehicle whose age is more than twenty years from the date of its registration and such model of goods vehicles whose operation is not possible in hill shall be exempted upto rupees thirty per metric ton or part thereof per quarter or rupees one hundred per metric ton or part thereof per year, as the case may be, as shown against column (2) of serial no. 2 of this part.
7. In case vehicle specified in column 2 against serial no. (4) (b) if found operated in Uttarakhand without paying tax, rupees three thousand each metric ton of unladen or part thereof shall be charged for each time.

By Order,

(Hari Chandra Semwal)
Additional Secretary

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– 04 /IX-1/106/2012/2019
देहरादूनः दिनांक 02 जनवरी, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2003) की धारा 4 की उपधारा (2–क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना संख्या 1016/ix–1/106/2012 दिनांक 29 नवम्बर, 2012 का अधिक्रमण करते हुये, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते हैं :–

सारणी–

धारा 4 की उपधारा (2–क) के अधीन सार्वजनिक सेवा यानों पर कर की दर–

क्र0 सं0	यान का विवरण	प्रतिसीट कर की दर (रूपये में) मासिक	तिमाही	वार्षिक
1	2	3	4	5
1.	ठेका गाड़ी 12 सीट से अधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली (मोटर कैब एवं मैक्सी कैब को छोडकर)	125	350	1300
2.	(1) मंजिली गाड़ी द्वारा एक माह में तय की गयी 1500 कि0मी0 तक की, दूरी के लिये–			
	(क) मैदानी मार्ग पर,–	100	स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का तीन गुना,	स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का ग्यारह गुना,
	(ख) पर्वतीय मार्गों पर,–	मैदानी मार्ग के लिये निर्धारित दर का आधा	स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का तीन गुना,	स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का ग्यारह गुना,
	(2) 1500 कि0मी0 से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त कि0मी0 के लिये,–	रूपये 0.04 प्रतिसीट प्रतिकि0मी0 जो उपरोक्त में जोडा जायेगा,	स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का तीन गुना,	स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का ग्यारह गुना,
3.	मंजिली गाड़ियां जो नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के भीतर अनन्य रूप से संचालित हों,	क्रम संख्या–2(1) (क) में निर्दिष्ट मैदानी मार्ग की दर का आधा	स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का तीन गुना,	स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का ग्यारह गुना,
4.	मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन भारत के किसी अन्य राज्य में या किसी अन्य देश में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसी मंजिली गाड़ियों को, जिसके साथ सड़क परिवहन के मामलें में पारस्परिक व्यवस्थायें की गयी हों और जो अपने परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के अधीन			

	उत्तराखण्ड में चलाने के लिये प्राधिकृत हो द्वारा– (1) एक माह में तय की गयी 1500 कि0मी0 तक की दूरी के लिये,	90	स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का तीन गुना,	स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का ग्यारह गुना,
	(2) 1500 कि0मी0 से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त कि0मी0 के लिये,–	रूपये 0.04 प्रतिसीट प्रतिकि0मी0 जो उपरोक्त में जोडा जायेगा,	स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट दर का तीन गुना	स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का ग्यारह गुना,
5.	मोटरयान, जो एक ऐसे मार्ग पर चलते है, जिसके उत्तराखण्ड राज्य से भिन्न भारत के राज्य में उसके प्रारम्भिक बिन्दु और अंतिम बिन्दु दोनों स्थित हों, किन्तु ऐसे मार्ग का कुछ भाग उत्तराखण्ड राज्य में पडता हो और ऐसे भाग की लम्बाई 16 कि0मी0 से अधिक नहीं हो, के प्रत्येक सीट के लिये	75	210	775

स्पष्टीकरण–

1. वातानुकूलित यानों पर प्रति सीट कर की दर इस भाग के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मोटर यानों के लिये स्तम्भ (3), स्तम्भ (4) और स्तम्भ (5) में यथा विनिर्दिष्ट दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक होगी।

2. इस भाग के क्रम संख्या 2 के सम्मुख स्तम्भ 2 के अधीन किसी मंजिली गाड़ी द्वारा एक मास में तय की गयी दूरी उतनी होगी जितनी एक तरफ के फेरों की संख्या को जैसी परमिट की शर्तों के अधीन अनुज्ञा दी जाय, ऐसे एक फेरे में अन्तर्ग्रस्त कुल किलोमीटर से गुणा करने पर प्राप्त हो।

3. इस भाग के अधीन कर मोटर यान अधिनियम, 1988 के सुसंगत उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात सीटों की अधिकतम संख्या पर देय है। इस प्रयोजन के लिये खड़े रहने की स्वीकृत क्षमता, यदि कोई हो, का 50 प्रतिशत अतिरिक्त बैठने की क्षमता के रूप में गिना जायेगा, तथा जहॉ कोई मोटरयान स्लीपिंग बर्थ से सज्जित हो, वहॉ प्रत्येक स्लीपिंग बर्थ को दो यात्री सीट के बराबर समझा जायेगा। सीट की गणना में मंजिली गाडी के सम्बन्ध में ड्राइवर की सीट एवं कन्डक्टर की सीट तथा ठेका गाडी के सम्बन्ध में ड्राईवर की सीट को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

4. ऐसे समय तक जब तक कि यथा स्थिति राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा सारणी समय मापनों और फेरों का निर्धारण नही कर दिया जाता है। कोई संचालक राज्य परिवहन उपक्रम सहित इस अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्व यान द्वारा संचालित फेरों के आधार पर प्राप्त मासिक तय की गयी दूरी पर कर का भुगतान करेगा।

5. पर्वतीय मार्ग का तात्पर्य पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी गढवाल जिले, देहरादून जिले की चकराता तहसील, नैनीताल, चम्पावत और पौड़ी गढवाल जिलों के उन भागों, जो पूर्व में टनकपुर से होकर पश्चिम में काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार से लक्ष्मण झूला तक तलहटी के आधार पर उत्तर की ओर पडता है और देहरादून शहर की नगरपालिका सीमा से आगे मसूरी की ओर की सभी सड़कों से है।

6. जहॉ किसी मोटर यान का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिये या ऐसी रीति से किया जाता है, जिससे कि वह एक से अधिक श्रेणी के लिये कर योग्य हो जाय, वहॉ देय

कर सबसे ऊँची समुचित दर पर होगी। परन्तु मंजिली गाडी जिसका संचालन पर्वतीय मार्गों एवं मैदानी मार्गों दोनो में होता है के द्वारा प्रतिमाह तय की गयी दूरी का 80 प्रतिशत से अधिक भाग पर्वतीय मार्गों पर पडता है से इस भाग के स्तम्भ 2 में क्रम संख्या 2 के 1क के सम्मुख विनिर्दिष्ट मोटरयानों के लिये स्तम्भ 3 में यथाविनिर्दिष्ट दर पर कर देय होगा।,

7. इस भाग में उल्लिखत ''नगर निगम'' और ''नगर पालिका'' का क्रमशः वही तात्पर्य होगा, जो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 यथा उत्तराखण्ड में लागू, में उनके लिये दिया गया है।

8. क्रम संख्या 1 के सम्मुख स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट यान जो शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों को लाने एवं ले जाने के लिये अनन्य रूप से प्रयुक्त होते हैं तथा ऐसे वाहन जो कि फैक्ट्री के कर्मचारियों को संस्था तक ले जाने और ले आने में अनन्य रूप से प्रयुक्त होते हैं, के लिये क्रमशः कर की दर उनके सम्मुख स्तम्भ (3), स्तम्भ (4) और स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट दर की क्रमशः आधी एवं दो तिहाई होगी।

आज्ञा से,

(हरि चन्द्र सेमवाल)
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.....04........ dated 02, January,2019 for general information.

Government of Uttarakhand
Transport Section-1
No. 64 /ix-1/106/2012/2019
Dehradun: dated: 02, January, 2019

Notification

In exercise of the powers conferred by sub section (2-A) of Section 4 of the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms Act, 2003 (Uttarakhand Act no. 12 of 2003), and in supersession of notification no. 1016/ix-1/106/2012 dated 29 November, 2012, the Governor is pleased to fix the rate of tax specified in column (3), column (4) and column (5), of the table below in respect of class of Motor Vehicles specified in corresponding entry in column (2) thereof:-

Table

Rates of tax on public service vehicles under sub-section (2-A) of Section 4

Sl. No.	Description of vehicles	Rates of tax per seat (in rupees)		
		Monthly	Quarterly	Yearly
1	2	3	4	5
1.	Contract carriage with seating capacity for more than twelve persons (excluding motor cab and maxi cab)	125	350	1300
2.	(1) Stage carriage distance run in a month upto 1500 kilometers a- For plain routes	100	Three times of the monthly rates specified in column 3	Eleven times of the monthly rates specified in column 3
	b- For hill routes	half of the rate fixed for plain routes	Three times of the monthly rates specified in column 3	Eleven times of the monthly rates specified in column 3
	(2) For each kilometre exceeding 1500 kilometre	Rs. 0.04 per seat per kilometre which shall be added in the above	Three times of the monthly rates specified in column 3	Eleven times of the monthly rates specified in column 3
3.	Stage carriage exclusively operating within the limits of municipal corporation or municipality	half of the rate specified for plain routes above for vehicle specified in Serial no.(2)(1)(a)	Three times of the monthly rates specified in column 3	Eleven times of the monthly rates specified in column 3

4.	Stage carriages registered under motor vehicles act, 1988 in any other state or in any other country under any other law enforce at that time with which reciprocal arrangement have been made in the matter of road transport and which are authorized to ply in Uttarakhand under countersignature of their permits,			
	(1) distance run in a month upto 1500 kilometers.	90	Three times of the monthly rates specified in column 3	Eleven times of the monthly rates specified in column 3
	(2) For each kilometre exceeding 1500 kilometre	Rs. 0.04 per seat per kilometre which shall be added in the above	Three times of the monthly rates specified in column 3	Eleven times of the monthly rates specified in column 3
5.	Motor vehicle which operate on the route whose both the starting point and the terminal point situate within the State of India excluding Uttarakhand but part of such route lies with in Uttarakhand and the length of such part does not exceed sixteen kilometers, for every seat	75	210	775

Explanation-

(1) The rate of tax in respect of air conditioned vehicle shall be twenty five percent more than the rates specified in column (3), column (4) and column (5) of the vehicles specified in column (2).

(2) The distance covered in one month of a stage carriage under column (2) against serial no. 2 of this part shall be such numbers of one way trips as are permitted under the conditions of the permit multiplied by the total kilometers involved in one such trip.

(3) The tax payable under this part shall be on the maximum number of seats permitted by the registering authority under the relevant provisions of The Motor Vehicles Act, 1988. For this purpose fifty percent of the sanctioned standing capacity if any, shall be reckoned as additional seating capacity and where a motor vehicle is equipped with sleeping berths, each sleeping berth shall be regarded as the equivalent to two passenger seats. The conductor's and the driver's seat of stage carriage and driver's seat of contract carriage will not be included in seats.

(4) Until such time as the timings and trips are fixed by The State Transport Authority or The Regional Transport Authority, as the case may be, an operator including the company or state transport undertaking shall pay tax on the monthly run distance to be arrived at on the basis of trips operated by the vehicle prior to the enforcement of this Act.

(5) Hill route means and includes all roads within Pithoragarh, Champawat, Almorah, Bageshwar, Rudraprayag, Chamoli, Uttarkashi and Tehri Garhwal districts, tehsil Chakrata of Dehradun district and those portions of Nainital, Champawat and Tehri Garhwal district which lies on north of the base of foothills from Tanakpur in the .east right along Kathgodam, Ramnagar,

Kotdwar to Laxmanjhula in the west and all roads beyond municipal limit of Dehradun town towards Mussoorie side.

(6) Where a motor vehicle is used for different purposes or in such manner that it is taxable under more than one category of this part, the tax payable shall be at the highest appropriate rate. But a stage carriage which is operating both on hill routes and plain routes and more than eighty percent part of its operation lies in hill routes shall be liable to pay tax at the rates specified in column (3) for vehicles specified in column (2) against serial no. 2(1) (a).

(7) In this part the expression "Municipal Corporation" or "Municipality" shall have the meaning respectively assigned to them in the Uttar Pradesh Municipal Corporation's Act, 1959 and Uttar Pradesh Municipality Act, 1916, as applicable in Uttarakhand.

(8) The rate of tax in respect of vehicle which are exclusively used for carrying students or workers to and from the educational institution or factory, as the case may be, specified in column (2) against serial no. 1. shall be half or two third respectively, as the case may be, of the rate specified in column (3), column (4) and column (5).

By Order,

(Hari Chandra Semwal)
Additional Secretary

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– 05 /IX-1/106/2012/2019
देहरादूनः दिनांक 02 जनवरी, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2003) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना संख्या 1017/ix–1/106/2012 दिनांक 29 नवम्बर, 2012 का अधिक्रमण करते हुये, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में अस्थाई रूप से पंजीकृत के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते हैं :–

सारणी–

धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन अस्थायी पंजीकृत यानों हेतु कर की दर–

क्र0 सं0	यान का प्रकार	कर की दर प्रत्येक तीस दिन के लिये (रूपये में)
1	2	3
1.	सभी प्रकार के दुपहिया वाहन	100
2.	छः सीट तक की क्षमता वाली सभी प्रकार की निजी वाहन	200
3.	हल्का मोटर यान	200
4.	मध्यम माल यान या मध्यम यात्री यान	300
5.	भारी माल यान या भारी यात्री यान	500

आज्ञा से,

(हरि चन्द्र सेमवाल)
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.....05...... dated 02, January,2019 for general information.

Government of Uttarakhand
Transport Section-1
No. 05/ix-1/106/2012/2019
Dehradun: dated: 02 January, 2019

Notification

In exercise of the powers conferred by sub section (3) of Section 4 of the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms Act, 2003 (Uttarakhand Act no. 12 of 2003), and in supersession of notification no. 1017/ix-1/106/2012 dated 29 November, 2012, the Governor is pleased to fix the rate of tax of the motor vehicles as specified in column (2) of the table below in respect of Motor Vehicles temporarily registered in Uttarakhand state as specified in corresponding entry in column (3) thereof:-

Table
Rate of tax on Temporarily Registered Motor Vehicle under sub-section (3) of Section 4

Sl. No.	Description of vehicles	Rate of tax for every thirty days (in rupees)
1	2	3
1.	All type of two wheelers	100
2.	All private vehicles whose seating capacity is upto six seats	200
3.	Light Motor Vehicles	200
4.	Medium goods vehicle or medium passenger vehicles	300
5.	Heavy goods vehicles or heavy passenger vehicles	500

By Order,

(Hari Chandra Semwal)
Additional Secretary

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– 06 /IX-1/106/2012/2019
देहरादूनः दिनांक 02 जनवरी, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2003) की धारा 4 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा अधिसूचना संख्या 1018/ix–1/106/2012 दिनांक 29 नवम्बर, 2012 का अधिक्रमण करते हुये, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में उत्तराखण्ड राज्य में डीलर के कब्जे में विक्रय के प्रयोजनार्थ रखे गये विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते हैं :–

सारणी–

धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन डीलर के कब्जे में रखी गयी वाहनों पर कर की दर–

क्र0 सं0	यान का विवरण	कर की वार्षिक दर प्रतिवाहन (रूपये में)
1	2	3
1.	दुपहिया वाहन	100
2.	हल्का मोटरयान	200
3.	मध्यम एवं भारी मोटर यान	300

स्पष्टीकरण– कर का निर्धारण एवं भुगतान गत कैलेण्डर वर्ष में विक्रय की गयी वाहनों की संख्या के आधार पर किया जायेगा। गत वर्ष में विक्रय की गयी वाहनों की संख्या और चालू कैलेण्डर वर्ष में डीलर के कब्जे में रही वाहनों की संख्या में अन्तर हो, यथा स्थिति कम या अधिक भुगतान किये गये कर का समायोजन या भुगतान अगले कैलेण्डर वर्ष में कर जमा करते समय किया जायेगा।

आज्ञा से,

(हरि चन्द्र सेमवाल)
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.....06...... dated 02 January,2019 for general information.

Government of Uttarakhand
Transport Section-1
No. 06 /ix-1/106/2012/2019
Dehradun: dated: 02 January, 2019

Notification

In exercise of the powers conferred by sub section (4) of Section 4 of the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms Act, 2003 (Uttarakhand Act no. 12 of 2003), and in supersession of notification no. 1018/ix-1/106/2012 dated 29 November, 2012, the Governor is pleased to fix the rate of tax of the motor vehicles as specified in column (3) of the table below in respect of motor vehicles of specified category kept in possession of dealers for the purpose of sale in front of column (2) thereof:-

Table
Rate of tax on vehicles under the possession of dealers under sub-section (4) of Section 4

Sl. No.	Description of vehicles	Annual rate of tax on every vehicle (in rupees)
1	2	3
1.	Two wheeler Motor Vehicle	100
2.	Light motor vehicle	200
3.	Medium and heavy motor vehicle	300

Explanation- Assessment and payment of tax shall be on the basis of number of vehicles sold in last calendar year. Where there is a difference between the number of vehicles sold in the last year and the number of vehicles in possession of dealer during the current calendar year, then the difference tax paid less or access, as the case may be, shall be adjusted or paid in next calendar year, while depositing the tax.

By Order,

(Hari Chandra Semwal)
Additional Secretary

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– 07 / IX-1 / 106 / 2012 / 2019
देहरादूनः दिनांक 02 जनवरी, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2003) की धारा 4 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना संख्या 1019 / ix–1 / 106 / 2012 दिनांक 29 नवम्बर, 2012 का अधिक्रमण करते हुये, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते हैं :–

सारणी–

धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन मोटर यान पर ग्रीन उपकर–

क्र0 सं0	यान का प्रकार	उपकर की दर (रूपये में)
1	2	3
1.	परिवहन यान से भिन्न यान के रजिस्ट्रीकरण के समय–	
	(क) मोटर साइकिल	500
	(ख) मोटर साइकिल से भिन्न यान (पेट्रोल चलित)	1500
	(ग) मोटर साइकिल से भिन्न यान (डीजल चलित)	3000
2.	रजिस्ट्रेशन के दिनांक से 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके परिवहन यान से भिन्न यान के मोटर यान अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (10) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के समय–	
	(क) मोटर साइकिल	1000 (प्रति पॉच वर्ष)
	(ख) मोटर साइकिल से भिन्न यान (पेट्रोल चलित)	3000 (प्रति पॉच वर्ष)
	(ग) मोटर साइकिल से भिन्न यान (डीजल चलित)	5000 (प्रति पांच वर्ष)
3.	रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से 06 वर्ष की आयु पूरी कर चुके परिवहन यान के मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 56 के अधीन फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय	600 प्रति वर्ष,

आज्ञा से,

(हरि चन्द्र सेमवाल)
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.....07.... dated 02 January,2019 for general information.

Government of Uttarakhand
Transport Section-1
No.07 /ix-1/106/2012/2019
Dehradun: dated: 02 January, 2019

Notification

In exercise of the powers conferred by sub section (5) of Section 4 of the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms Act, 2003 (Uttarakhand Act no. 12 of 2003), and in supersession of notification no. 1019/ix-1/106/2012 dated 29 November, 2012, the Governor is pleased to fix the rate of tax specified in column (3) of the table below on motor vehicles suitable for use on road for the purpose of implementation of various measures of air pollution and improvement of urban transport system specified in front of column (2) thereof:-

Table

Rates of Green Cess on the motor vehicles under sub-section (5) of Section 4

Sl. No.	Description of vehicle	Rates of Cess (in rupees)
1	2	3
1.	Motor vehicle other than transport vehicle-	at the time of registration.
	(a) Motor cycle	500
	(b) Motor vehicle other than motor cycle driven by petrol	1500
	(c) Motor vehicle other than motor cycle driven driven by deisel	3000
2.	Motor vehicle, other than transport vehicle, completed fifteen years from the date of its registration, at the time of renewal of certificate of registration as per sub-section (10) of Section 41, of the Motor Vehicles Act, 1988-	
	(a) Motor cycle	1000 (for every five year)
	(b) Vehicle other than motor cycle driven by petrol	3000 (for every five year)
	(c) Vehicle other than motor cycle driven by deisel	5000 (for every five year)
3.	Transport vehicles completed 6 years from the date of its registration at the time of renewal of fitness certificate as per section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988	600 (for every year)

By Order,

(Hari Chandra Semwal)
Additional Secretary

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– 08 /IX-1/106/2012/2019
देहरादूनः दिनांक 02, जनवरी, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2003) की धारा 4–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना संख्या 1020/ix–1/106/2012 दिनांक 29 नवम्बर, 2012 का अधिक्रमण करते हुये, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वर्ग मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते हैं :–

धारा 4–क के अधीन सार्वजनिक सेवा यान पर "विशेष कर" की दर–

यान का विवरण	**प्रतिदिन कर की दर (रूपये में)**
1	**2**
विशेष अवसरों पर जैसे मेलों और धार्मिक सभाओं में यात्रियों को वहॉ ले जाने और वहॉ से लाने के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 के अन्तर्गत जारी अस्थायी परमिट तथा बारात, पर्यटक यात्रियों या ऐसी अन्य आरक्षित पार्टियों की सवारी के लिये मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (8) के अन्तर्गत जारी विशेष परमिट से आच्छादित सार्वजनिक सेवायान पर, ड्राइवर को छोडकर प्रत्येक सीट के लिये–	10

स्पष्टीकरण–

1. विशेष कर की गणना के लिये उतने दिनों की गणना नही की जायेगी जितने दिनों तक अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाडियां उत्तराखण्ड से बाहर संचालित की गयी हो;
2. ऐसी किसी मोटर यान के सम्बन्ध में किसी माह की अवधि में विशेष कर की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित वाहन स्वामी द्वारा अस्थायी परमिट प्राप्त करते समय किया जायेगा।
3. जहां किसी मंजिली गाडी द्वारा अस्थायी परमिट प्राप्त कर लिया हो और उसके सापेक्ष प्रत्येक दिवस के लिये विशेष कर का भुगतान कर दिया हो, ऐसे प्रत्येक दिवस के लिये धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन देय कर का 1/30 वां भाग छोड़ दिया जायेगा।

आज्ञा से,

(हरि चन्द्र सेमवाल)
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no......08...... dated 02 January,2019 for general information.

Government of Uttarakhand
Transport Section-1
No. 08 /ix-1/106/2012/2019
Dehradun: dated: 02 January, 2019

Notification

In exercise of the powers conferred by Section 4-A of the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms Act, 2003 (Uttarakhand Act no. 12 of 2003), and in supersession of notification no. 1020/ix-1/106/2012 dated 29 November, 2012, the Governor is pleased to fix the rate of tax specified in column (2) of the table below in respect of the motor vehicles specified in column (1) thereof:-

Table

Rate of Special Tax on public service vehicles under Section 4-A

Description of vehicles	Rate of tax per seat per day (in rupees)
1	2
Stage carriage covered by temporary permit issued under section 87 of the Motor Vehicles Act, 1988 for the conveyance of passengers on special occasions, such as to and from fair and religious gatherings or public service vehicle covered under special permit issued under sub section (8) of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 to carry marriage parties, tourist parties or such other reserved parties for every seat excluding driver	10

Explanation

1- Such days in which the stage carriage covered under temporary permit operate out side Uttarakhand shall not be taken into account while computing the special tax.

2- In respect of any such motor vehicle the amount of special tax for any month shall be paid by the vehicle owner at the time of getting the permit.

3- The special tax for each day deposited by a stage carriage while obtaining temporary permit in any month shall be left one thirty (1/30) part for each day of the amount of tax paid by such vehicle in that month under sub-section (2) of Section 4.

By Order,

(Hari Chandra Semwal)
Additional Secretary

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– 09 /IX-1/106/2012/2019
देहरादूनः दिनांक 02 जनवरी, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2003) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (क), खण्ड (ख), खण्ड (ग) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (2) एवं (2–क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना संख्या 1021/ix–1/106/2012 दिनांक 29 नवम्बर, 2012 का अधिक्रमण करते हुये, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते हैं :–

सारणी–1

धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन माल यान पर देय "कर" की दर–

क्र0सं0	यान का विवरण	कर की दर (रूपये में)		
		प्रतिदिन	प्रतिसप्ताह	प्रतिमाह
1	2	3	4	5
	मालयानों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड में संचालन के लिये–			
	(क) 3000 कि0ग्रा0 से कम सकल यान भार वाले यान,	–	200	700
	(ख) हल्का मालयान	60	400	1500
	(ग) मध्यम मालयान	90	600	2200
	(घ) भारी मालयान	125	835	3200

स्पष्टीकरण–

1. उत्तराखण्ड से भिन्न किसी अन्य राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकृत माल यान, जिसे मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परमिट से छूट प्रदत्त न हो, उत्तराखण्ड में बिना परमिट चलता हुआ पाया जाय तो ऐसे यान के सम्बन्ध में स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मोटरयानों पर स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर से छः गुने के बराबर कर की राशि देय होगी।
2. उत्तराखण्ड से भिन्न किसी अन्य राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकृत माल यान जिसे मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परमिट से छूट प्रदत्त हो, उत्तराखण्ड में बिना कर अदायगी के चलता हुआ पाया जाय तो ऐसे यान के सम्बन्ध में स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मोटरयानों पर स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट साप्तहिक दर के दो गुने के बराबर कर की धनराशि देय होगी।

सारणी–2

धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ग) के साथ पठित धारा 4 के उपधारा (2) और (2–क) के अधीन सार्वजनिक सेवा यानों पर देय "कर" की दर–

क्र0 सं0	यान का विवरण	कर की दर (रूपये में)
1	2	3
1.	उत्तराखण्ड राज्य से भिन्न अन्य राज्य के प्राधिकारी द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 के अधीन जारी अस्थायी परमिट तथा धारा 88 की उपधारा (8) के अधीन जारी विशेष परमिट से आच्छादित सार्वजनिक सेवायान के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड में संचालन पर प्रति दिन प्रत्येक सीट के लिये–	
	(क) सामान्य	25
	(ख) वातानुकूलित	40
2.	उत्तराखण्ड राज्य से भिन्न अन्य राज्य के प्राधिकारी द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन जारी परमिट से आच्छादित सार्वजनिक सेवायान के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड में संचालन पर कर की दर–	
	(क) 12 सीट तक के सार्वजनिक सेवायान के लिये प्रतिदिन कर की दर–	
	(एक) सामान्य	25
	(दो) वातानुकूलित	40
	(ख) 12 सीट से अधिक सार्वजनिक सेवायान के लिये कर की दर–	
	(एक) सामान्य	75 प्रथम तीन दिन के लिये तद्पश्चात् 20 रूपये प्रतिदिन
	(दो) वातानुकूलित	120 प्रथम तीन दिन के लिये तद्पश्चात् 35 रूपये प्रतिदिन

स्पष्टीकरण–

1. भारत के किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत पर्यटक वाहन को जिनके सम्बन्ध में मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन परमिट प्रदान किये गये हों, उक्त कर के भुगतान से छूट होगी, बशर्तें उत्तराखण्ड राज्य में रजिस्ट्रीकृत एवं राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा जारी परमिट से आच्छादित पर्यटक वाहनों को भी कर, अतिरिक्त कर, स्पेशल कर, जिस नाम से भी जाना जाय, की देयता से ऐसे अन्य राज्य में छूट प्रदान की गयी हो और जिसके सम्बन्ध में उसी प्रकार के परमिट राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदान किये गये है;
2. उत्तराखण्ड राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकृत सार्वजनिक सेवायान जिसे मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परमिट से छूट प्रदत्त न हो, उत्तराखण्ड में बिना परमिट चलता हुआ पाया जाय तो ऐसे यान पर नीचे दी गयी दर पर कर देय होगा–
   - **(क)** सामान्य सार्वजनिक सेवायान के प्रत्येक सीट के लिये कर 150 रूपये
   - **(ख)** वातानुकूलित सार्वजनिक सेवायान के प्रत्येक सीट के लिये कर 240 रूपये
3. सारणी 2 के क्रम संख्या 2 (ख) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक सेवायान उत्तराखण्ड राज्य में बिना कर संचालित पाया जाता है तो अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सामान्य के लिये 25 रूपये प्रतिसीट एवं वातानुकूलित के लिये 40 रूपये प्रति सीट की दर से शास्ति देय होगी।

आज्ञा से,

(हरि चन्द्र सेमवाल)
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.....09...... dated 02 January, 2019 for general information.

Government of Uttarakhand
Transport Section-1
No. 09 /ix-1/106/2012/2019
Dehradun: dated: 02 January, 2019

Notification

In exercise of the powers conferred by sub section (2) and (2-A) of Section 4 read with clause (a), clause (b) and clause (c) of sub section (1) of Section 10 of the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms Act, 2003 (Uttarakhand Act no. 12 of 2003), and in supersession of notification no. 1021/ix-1/106/2012 dated 29 November, 2012, the Governor is pleased to fix the rate of tax specified in column (3) of the table below in respect of the motor vehicles specified in column (2) thereof:-

Table-1

Rate of tax on goods carriages under sub-section (2) of Section 4 read with clause (a) and (b) of sub-section (1) of Section 10

Sl. No.	Description of vehicles	Rate of tax (in rupees)		
		Daily	Weekly	Monthly
1	2	3	4	5
	In respect of goods vehicle, plying in Uttarakhand-			
	(a) Gross vehicle weight not exceeding 3000 kilogram	-	200	700
	(b) Light goods vehicle	60	400	1500
	(c) Medium goods vehicle	90	600	2200
	(d) Heavy goods vehicle	125	835	3200

Explanation

1- Any goods carriage registered in any State or Union Territory other than Uttarakhand and which is not exempted from permit under sub-section (3) of section 66 of Motor Vehicles Act, 1988 if found plying without permit in Uttarakhand the tax in respect of such vehicle shall be payable an amount equivalent to six times of the rates as specified in column (3) on motor vehicles specified in column (2).

2- Any Goods Carriage registered in any state or Union Territory other than Uttarakhand and which is exempted from permit under sub section (3) of section 66 of the Motor Vehicle Act, 1988 if found plying whithout payment of tax in Uttarakhand such vehicles shall be liable to pay tax equivalent to two times of the weekly rates as specified in column (4) on Motor Vehicles specified in column (2)

Table-2

Rate of tax on public service vehicles under sub-section (2) and (2-A) of section 4 read with clause (a) and (c) of sub-section (1) of Section 10-

Sl. No.	Description of vehicles	Rate of tax (in rupees)
1	2	3
1	In respect of public service vehicles, covered by temporary permit under section 87 of Motor Vehicles Act, 1988 or covered by special permit under sub-section (8) of section 88 of Motor Vehicles Act, 1988 authorized for plying in Uttarakhand for per seat per day-	

	(a) Ordinary	25
	(b) Air conditioned	40
2	In respect of public service vehicles, covered by permit under sub section (9) of section 88 of Motor Vehicles Act, 1988 authorized for plying in Uttarakhand for per day	
	(a) Public service vehicle having seating capacity upto 12 seats for per day-	
	(i) Ordinary	25
	(ii) Air conditioned	40
	(b) Public service vehicle having seating capacity more than 12 seats	
	(i) Ordinary	75 for the first three days or part thereof and there after rupees 20 per day
	(ii) Air conditioned	120 for the first three days or part thereof and there after rupees 35 per day

Explanation

1. Tourist vehicles registered in any other State of India in respect of which permits have been granted under sub-section (9) of section 88 of Motor Vehicles Act, 1988 shall be exempted from the payment of tax under the Act, provided that similar reciprocal exemption is granted in respect of liability to pay tax, additional tax, special tax by whatever name it is known in such other State to tourist vehicles registered in the State of Uttarakhand and in respect of which similar permits have been granted by the State Transport Authority, Uttarakhand.
2. Any public service vehicle registered in any State or Union Territory other than Uttarakhand and which is not exempted from permit under sub-section (3) of section 66 of Motor Vehicles Act, 1988 whenever found plying without permit, the tax shall be payable on such vehicle at the rate given below-
   (a) For ordinary public service vehicle, tax per seat Rs. 150
   (b) For air conditioned public service vehicle, tax per seat Rs. 240
3. Any publics service vehicle specified in serrial no 2 (b) of the table-2 whenever found plying in uttarakhand state without paying tax a penalty at the rate of twenty five rupees per seat for ordinary public service vehicle and fourty rupees per seat for air conditioned public service vehicle shall be charged under sub section (3) of section 10.

By Order,

(Hari Chandra Semwal)
Additional Secretary

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– 10 /IX-1/106/2012/2019
देहरादूनः दिनांक 02 जनवरी, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2003) की धारा 10 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना संख्या 1023/ix–1/106/2012 दिनांक 29 नवम्बर, 2012 का अधिक्रमण करते हुये, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मोटरयानों पर उनके सम्मुख स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते हैं :–

सारणी–

धारा 10 की उपधारा (5) और के अधीन परिवहन यान से भिन्न मोटरयान के परिवहन यान के रूप में चलते पाये जाने पर कर की दर –

क्र0सं0	यान का विवरण	कर की दर (रूपये में)
1	2	3
1.	परिवहन यान से भिन्न मोटरयान जब भी परिवहन यान के रूप में यात्रियों को ढोता हुआ पाया जाय। प्रत्येक बार पकड़े जाने पर।	1000 प्रति सीट प्रत्येक बार जो किसी भी दशा में ऐसे वाहन पर देयकर की धनराशि से 10,000 से अधिक नहीं होगी। कर की गणना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अथवा मौके पर यान पर लगी सीटों में से जो भी अधिक हो के आधार पर की जायेगी।
2	कृषि कार्य हेतु पंजीकृत ट्रैक्टर या ट्राली या दोनों जब भी मालयान की तरह परिवहन यान के रूप में चलता हुआ पाया जाय। प्रत्येक बार पकडे जाने पर।	5000 ट्रैक्टर के लिए 3000 ट्राली के लिए
3	उत्तराखण्ड से भिन्न अन्य राज्य में परिवहन यान से भिन्न यान के रूप में पंजीकृत सन्निर्माण उपस्कर यान या विशेष प्रकार के या विशेष उद्देश्य से निर्मित मोटर यान जब भी उत्तराखण्ड राज्य में परिवहन यान के रूप में उपयोग में लाता हुआ पाया जाय।	3000 लदान रहित भार के प्रति मीट्रिक टन या उसके भाग के लिए

आज्ञा से,

(हरि चन्द्र सेमवाल)
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no....10....... dated 02 January,2019 for general information.

Government of Uttarakhand
Transport Section-1
No. 10 /ix-1/106/2012/2019
Dehradun: dated: 02 January, 2019

Notification

In exercise of the powers conferred by sub section (5) of Section 10 of the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms Act, 2003 (Uttarakhand Act no. 12 of 2003), and in supersession of notification no. 1023/ix-1/106/2012 dated 29 November, 2012, the Governor is pleased to fix the rate of tax specified in column (3) of the table below in respect of class of Motor Vehicles specified in column (2) thereof:-

Table

Rate of tax of motor vehicle other than transport vehicle found plying as a transport vehicle under sub secion (5) of Section 10

Sl. No.	Description of vehicles	Rate of tax (in rupees)
1	2	3
1.	Motor vehicle other than transport vehicle whenever found plying as a transport vehicle for carrying passenger	1000 per seat for each time which shall not exceed more than rupees 10,000 of the amount of tax payable by such vehicle. The tax shall be calculated on the basis of seats in registration certificate or seats found at the spot in the vehicle whichever is more.
2.	Tractor or trailer registered for agriculture purposes whenever found plying as goods carriage as a transport vehicle.	5000 for tractor 3000 for trailer
3.	Construction equipment vehicle or vehicle constructed for special purpose or special design registered as transport vehicle in any other state other than uttarakhand whenever found plying as transport vehicle in uttarakhand.	3000 for each metric ton of unladen weight or part thereof.

By Order,

(Hari Chandra Semwal)
Additional Secretary